

18-01-2024

~~18-01-2024~~

~~18-01-2024~~

AJ

18-01-24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता
उपास्थित हैं। वकील प्रार्थी व प्रत्यक्ष को
आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये
नोट प्रेश किया है। वकील प्रार्थी के नोट
प्रेस किए जाने से धारा 14 सर्वेक्षी एक्ट
के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली नष्ट है।

20

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर